उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग—1

संख्या: 13/19/91-का—1/1992
लखनऊ, दिनांक: 25 मार्च, 1992

दिनांक 25 मार्च, 1992 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4—सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
5—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
6—सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
7—सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8—निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
9—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

जे0 डी0 पुरी,
संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या: 13/19/91-का–1/1992

लखनऊ, दिनांक: 25 मार्च, 1992

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

"उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

(3) यह नियमावली सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी ।

अध्यारोही प्रभाव

2–यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी ।

परिभाषाएं

3–जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,

(क) "कृषि उत्पादन आयुक्त" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और सरकार के कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव से है;

(ख) "मुख्य सचिव" का तात्पर्य सरकार के मुख्य सचिव से है ;

(ग) "संबंधित विभाग" का तात्पर्य उस विभाग से है जिसके लिए चयन किया जा रहा है ;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,

(ङ) "कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अधीन विभागों" का तात्पर्य निम्नलिखित विभागों से है, अर्थात्

1–ग्राम्य विकास विभाग ;
2–ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ;
3–लघु सिंचाई विभाग ;
4–भूजल विभाग ;
5–कृषि विभाग ;
6–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ;
7–सहकारिता विभाग ;
8–मत्स्य विभाग ;
9–पशुधन विभाग ।

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ,

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ज) "सचिव कार्मिक" का तात्पर्य कार्मिक विभाग में सरकार के सचिव से है ;

(झ) "चयन समिति" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन पदों पर चयन करने के लिए गठित समिति से है ;

(ञ) "सेवा आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है । इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी सम्मिलित है ।

चयन समिति का गठन

4—किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी :—

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अधीन विभागों में विभागाध्यक्ष और अपर विभागाध्यक्ष के पद के लिए :

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(3) सचिव, कार्मिक	सदस्य
(4) संबंधित विभाग में सरकार के यथास्थिति प्रमुख सचिव और/या सचिव	सदस्य (गण)

(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अधीन विभागों से भिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष और अपर विभागाध्यक्ष के पद के लिए :

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) सचिव, कार्मिक	सदस्य
(3) संबंधित विभाग में सरकार के यथास्थिति प्रमुख सचिव/या सचिव,	सदस्य (गण)

(ग) समय-समय पर सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत समूह "क" और समूह "ख" के पदों के पदोन्नति कोटे के लिए जहां किसी अन्य नियमावली में पदोन्नति के लिए कोई विभागीय चयन समिति विहित न हो ;

(1) संबंधित विभाग में सरकार के, यथास्थिति, प्रमुख सचिव और/या सचिव ;

(2) सचिव, कार्मिक या उसका कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न न हो ;

(3) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष और जहां कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहां सरकार के संबंधित विभाग के सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी जो सरकार के, संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो ।

ज्येष्ठतम् सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा ।

(घ) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1988) की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन अधीनस्थ आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के कोटे के लिए चयन करने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित पदों सहित समूह "ग" के पदों के पदोन्नति कोटे के लिये :—

(4) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी, जो उस पद के पर्यवेक्षक की हैसियत रखते हों, जिसके लिए चयन किया जा रहा है। — सदस्य गण

5—उन पदों के लिए जो नियम—4 के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन नहीं आये हैं, जहां सचिव, कार्मिक किसी चयन समिति का सदस्य हो, वहां वह अपनी ओर से किसी ऐसे अधिकारी का नाम निर्दिष्ट कर सकता है जो सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न न हो। — नाम निर्देश

आज्ञा से,
ओ० पी० आर्य,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of th Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/19/91—Karmik-1, dated March 25, 1992 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION—1

No. 13/19/91—Karmik-1-92

Dated Lucknow, March 25, 1992

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :—

THE UTTAR PRADESH CONSTITUTION OF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE FOR POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE SERVICE COMMISSION, RULES, 1992

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992.

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply to the posts of promotion quota under the rule making power of the Governor, except the posts which are within the purview of the Service Commission.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definitions

3. Unless there is anything repugnent in the subject or context, the expression—

(*a*) "Agriculture Production Commissioner" means the Agriculture Production Commissioner of Uttar Pradesh and Principal Secretary to Government in Agriculture Production and Rural Development Department ;

(*b*) "Chief Secretary" means the Chief Secretary to Government ;

(*c*) "Concerned Department" means the department for which selection is being made ;

(*d*) "Constitution" means the Constitution of India ;

(*e*) "Departments under the Branch of Agriculture Production Commissioner" mean the following departments, namely:—

1. Rural Development Department ;
2. Rural Engineering Department ;
3. Minor Irrigation Department ;
4. Ground Water Department ;
5. Agriculture Department ;
6. Horticulture and Food Processing Department ;
7. Co-operative Department ;
8. Fishries Department ;
9. Animal Husbandry Department.

(*f*) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(*g*) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(*h*) "Secretary Karmik" means the Secretary to Government in Karmik Department ;

(*i*) "Selection Committee" means the Committee constituted to make selections for posts under the service rules ;

(*j*) "Service Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission. It includes the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission also.

Constitution of Selection Committee.

4. Notwithstanding anything contrary contained in any other rules or orders, the Selection Committee shall be constituted as follows:

(*a*) For the post of Head of Department and Additional Head of Department in the Departments under the Branch of Agriculture Production Commissioner :—

(1) Chief Secretary	*Chairman*
(2) Agriculture Production Commissioner	*Member*
(3) Secretary Karmik	*Member*
(4) Principal Secretary and/or Secretary to Government in the concerned Department as the case may be	*Member(s)*

(*b*) For the post of Head of Department and Additional Head of Department in the departments other than the Departments under the Branch of Agriculture Production Commissioner—

(1) Chief Secretary	*Chairman*
(2) Secretary Karmik	*Member*
(3) Principal Secretary and/or Secretary to Government in the concerned Department as the case may be	*Member(s)*

(*c*) For the promotion quota of the posts belonging to Group 'A' and Group 'B' as classified by Government from time to time, where no departmental Selection Committee for promotion is prescribed in any other rules—

(1) Principal Secretary and/or Secretary to Government in the concerned department, as the case may be ;

(2) Secretary Karmik or his nominee, not below the rank of Joint Secretary to Government ;

(3) Head of the department of the concerned department and where there is no Head of the department on other not below the rank of Joint Secretary to Government nominated by the Secretary to Government in the concerned department. The seniormost member shall be the Chairman of the committee..

(*d*) For promotion quota of the posts to Group "C" including the posts in respect of direct recruitment quota where of notification has been made under sub-section (1) of section 2 of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 1988,—

(1) Appointing Authority — *Chairman*

(2) Two gazetted officers nominated by the Appointing Authority, have supurvisory capacity of the post for which selection is made. — *Members*

Nomination

5. For the posts not covered under clauses (*a*), (*b*), (*c*) or (*d*) of rule 4, where Secretary Karmik is a member of a Selection Committee he may, on his behalf nominate an officer not below the rank of Joint Secretary to Government.

By order,

O. P. ARYA,
Secretary.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 5 सा० नियुक्ति-(549)--1992-9,500 (ई०) ।